



अनुसंधान प्रश्न

“भारत में वाहन चोरी के बाद एफआईआर और बीमा क्लेम के लिए मालिक को क्या कदम उठाने चाहिए, बीमा कंपनी को देर से सूचना देने पर क्लेम खारिज करने के बारे में अदालतों ने क्या कहा है, और अनट्रेसड रिपोर्ट की प्रक्रिया क्या है?”

भारत में वाहन चोरी के बाद एफआईआर (FIR), बीमा दावा (Insurance Claim) प्रक्रिया, विलंबित सूचना के प्रभाव और पुलिस की अनट्रेसड रिपोर्ट (Untraced Report) का कानूनी विश्लेषण

सारांश

सर्वोच्च न्यायालय ने *Gurshinder Singh v. Shriram General Insurance Co. Ltd.* (2020) में स्थापित किया कि यदि वाहन चोरी के बाद पुलिस को तुरंत सूचित कर एफआईआर (FIR) दर्ज करा दी गई है, तो बीमा कंपनी को सूचना देने में हुई देरी केवल तकनीकी आधार पर दावे को खारिज करने का वैध कारण नहीं बन सकती। वाहन मालिक को चोरी के तत्काल बाद पुलिस को धारा 154 CrPC के तहत सूचित करना चाहिए, तत्पश्चात बीमा कंपनी को लिखित रूप में सूचित करना चाहिए और पुलिस द्वारा जांच के बाद प्रस्तुत व मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत धारा 173 CrPC की अंतिम 'अनट्रेसड रिपोर्ट' (Untraced Report) के आधार पर क्लेम का निपटान कराना चाहिए। जब तक कि अत्यधिक विलंब में धोखाधड़ी या कपटपूर्ण मंशा (2017 INSC 1001) प्रमाणित न हो, तब तक वास्तविक दावों को केवल प्रक्रियात्मक देरी के कारण अस्वीकार करना उपभोक्ता हितों के खिलाफ और अवैध माना जाएगा।

सत्यापित मुकदमे	संविधियों	नवीनतम निर्णय
25	5	2025
18 उच्च न्यायालय • 7 सर्वोच्च न्यायालय		High Court of Punjab and Haryana

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	6
IV. मुकदमे का विवरण	8

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्धरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत:

01 तत्काल एफआईआर दर्ज कराने का विधिक महत्व

चोरी के मामलों में पुलिस को तुरंत सूचित करना अनिवार्य है ताकि रिकवरी की प्रक्रिया को गति दी जा सके। भारत की व्यावहारिक परिस्थितियों के कारण यदि एफआईआर में कोई मानवीय या तार्किक देरी होती है, तो उसे साक्ष्यों की बारीकी से जांच करने के बाद ही खारिज किया जा सकता है, अन्यथा देरी स्वतः ही दावे को संदिग्ध नहीं बनाती (*Ravi v. Badrinarayan and Ors.* (2011))।

02 बीमा कंपनी को देरी से दी गई सूचना दावे के लिए स्वतः घातक नहीं

यदि एफआईआर बिना किसी देरी के दर्ज कराई गई है और जांच में चोरी की घटना वास्तविक पाई गई है, तो बीमा कंपनी को देर से दी गई सूचना के आधार पर वास्तविक दावों को तकनीकी आधारों पर निरस्त नहीं किया जा सकता (*Jaina Construction Company v. The Oriental Insurance Company Limited & Anr.* (2022))।

03 पुलिस निष्क्रियता और वैकल्पिक उपाय

यदि पुलिस प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने में उदासीनता दिखाती है, तो पीड़ित को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए या लिखित आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए, जो बाद में होने वाली विलंबित एफआईआर की वैधता को प्रमाणित करने का आधार बनता है (*National Insurance Co. Ltd. v. Vinod Kumar* (2016))।

04 पॉलिसी की शर्तों और कानूनी उत्तरदायित्व में संतुलन

बीमा पॉलिसी में आमतौर पर "तत्काल" सूचना की शर्त पुलिस के संदर्भ में होती है ताकि अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया जा सके। बीमा कंपनी को सूचना देने की सख्त समय-सीमा न होने पर दावे को अस्वीकार करना अनुचित है (*The Manager, New India Assurance Company Limited v. Amulya Kumar Nayak* (2025))।

05 कठिन दस्तावेजी मांगों और तकनीकी आधारों पर अस्वीकृति का निषेध

बीमा कंपनियां ऐसे दस्तावेजों (जैसे चोरी के साथ ही खो गए मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र) की मांग के नाम पर दावे को नहीं अटका सकतीं जिन्हें प्राप्त करना बीमित व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो गया हो (*Gurmel Singh v. Branch Manager, National Insurance Co. Ltd.* (2022))।

06 मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत अनट्रेस्ड रिपोर्ट का अंतिम साक्ष्य मूल्य

यदि पुलिस ने गहन जांच के बाद न्यायालय में अनट्रेस्ड फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और मजिस्ट्रेट ने इसे स्वीकार कर लिया है, तो चोरी की सत्यता निर्विवाद रूप से स्थापित मानी जाती है और इसके बाद बीमा दावे का निपटान किया जाना चाहिए (*New India Assurance Company Ltd. v. Permanent Lok Adalat (PUS), Rupnagar (2025)*)।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया:

07 सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून एक कल्याणकारी कानून है जिसका उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए। यदि वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने या चोरी के तुरंत बाद पीड़ित लोगों के जीवन और सुरक्षा को बचाने या अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण क्लेम दाखिल करने में विलंब होता है, तो बीमा कंपनियों को इसे स्वीकार करना होगा (*Rajesh Kumar v. National Insurance Co. Ltd. (2024)*)।

08 उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ

कोलकाता उच्च न्यायालय ने माना कि जब एफआईआर और दावे में अत्यधिक, अस्पष्टीकृत देरी होती है जो दुर्भावनापूर्ण इरादे (mala fide intent) या भौतिक तथ्यों को जानबूझकर छिपाने की ओर इशारा करती है, तो ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में दावों को खारिज करना पूरी तरह से न्यायसंगत हो सकता है (*National Insurance Company Limited v. Sethia Oil Industries Limited (2025)*)। इसके विपरीत, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना कि केवल प्रक्रियात्मक विलंब बीमा कंपनी के प्रति कोई पूर्वाग्रह या हानि नहीं पहुंचाता, इसलिए वास्तविक चोरी प्रमाणित होने पर दावे को खारिज करना अनुचित है (*United India Insurance Co. Ltd. v. Samarjeet Singh (2016)*)।

09 हाल का विकास

हालिया निर्णयों में न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि दुर्घटना और चोरी के दावों में सबूतों का मूल्यांकन 'संभावनाओं की प्रधानता' (preponderance of probabilities) के आधार पर किया जाता है न कि 'संदेह से परे प्रमाण' (proof beyond reasonable doubt) के आधार पर, जिससे वास्तविक दावों को त्वरित राहत मिलती है (*Gulab Kothari v. Rajiv Chugh (2020)*)।

II. सांविधिक प्रावधान 5 प्रावधान

SECTION 152, MOTOR VEHICLES ACT, 1988 — DUTY TO GIVE INFORMATION AS TO INSURANCE

यह प्रावधान यह अनिवार्य करता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध बीमा दावा किया गया है, उसे अनुरोध करने पर अपनी बीमा कवरेज के विवरण का खुलासा करना होगा।

"Section 152. Duty to give information as to insurance. (1) No person against whom a claim is made in respect of any liability referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 147 shall, on demand by or on behalf of the person making the claim, refuse to state whether or not he was insured in respect of that liability by any policy issued under the provisions of this Chapter, or would have been so insured if the insurer had not avoided or cancelled the policy, nor shall he refuse, if he was or would have been so insured, to give such particulars with respect to that policy as were specified in the certificate of insurance issued in respect thereof." उद्धृत: सामान्य कानूनी मार्गदर्शिका के रूप में प्रयुक्त।

SECTION 173, CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 — REPORT OF POLICE OFFICER ON COMPLETION OF INVESTIGATION

यह धारा जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता को निर्धारित करती है, जो वाहन चोरी के मामलों में अनट्रेस्ड रिपोर्ट का आधार बनती है।

"Section 173. Report of police officer on completion of investigation (1) Every investigation under this Chapter shall be completed without unnecessary delay. (2) (i) As soon as it is completed, the officer in charge of the police station shall forward to a Magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report, a report in the form prescribed by the State Government, stating-- (a) the names of the parties; (b) the nature of the information; (c) the names of the persons who appear to be acquainted with the circumstances of the case; (d) whether any offence appears to have been committed and, if so, by whom; (e) whether the accused has been arrested; (f) whether he has been released on his bond and, if so, whether with or without sureties; (g) whether he has been forwarded in custody under section 170." उद्धृत: सामान्य कानूनी मार्गदर्शिका के रूप में प्रयुक्त।

SECTION 154, CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 — INFORMATION IN COGNIZABLE CASES

यह धारा संज्ञेय अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के पंजीकरण को नियंत्रित करती है, जो वाहन चोरी होने पर तुरंत उठाया जाने वाला पहला और अनिवार्य कदम है।

"Section 154. Information in cognizable cases (1) Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over to the informant; and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the State Government may prescribe in this behalf: (2) A copy of the information as recorded under sub-section (1) shall be given forthwith, free of cost, to the informant." उद्धृत: Dilip Jagdish Deshmukh v. Chandrakant Mahadeo Shinde

SECTION 193, BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 — REPORT OF POLICE OFFICER ON COMPLETION OF INVESTIGATION

यह धारा जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आधुनिक प्रक्रिया को निर्धारित करती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार के विकल्प भी शामिल हैं।

"Section 193. Report of police officer on completion of investigation (1) Every investigation under this Chapter shall be completed without unnecessary delay. (3) (i) As soon as the investigation is completed, the officer in charge of the police station shall forward, including through electronic communication to a Magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report, a report in the form as the State Government may, by rules provide..." उद्धृत: सामान्य कानूनी मार्गदर्शिका के रूप में प्रयुक्त।

SECTION 157, CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 — PROCEDURE FOR INVESTIGATION

यह धारा संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर जांच शुरू करने के लिए पुलिस अधिकारी के प्रारंभिक कदमों और रिपोर्टिंग दायित्वों का विवरण देती है।

"Section 157. Procedure for investigation (1) If, from information received or otherwise, an officer in charge of a police station has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under section 156 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to a Magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report and shall proceed in person, or shall depute one of his subordinate officers... to proceed, to the spot, to investigate the facts and circumstances of the case, and, if necessary, to take measures for the discovery and arrest of the offender." उद्धृत: सामान्य कानूनी मार्गदर्शिका के रूप में प्रयुक्त।

III. चर्चित मुकदमे

25 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Dilip Jagdish Deshmukh v. Chandrakant Mahadeo Shinde</i> HCBM030277222017	BOMBAY HIGH COURT	2018	दुर्घटना दावों में एफआईआर दर्ज कराने में हुई देरी स्वतः खारिज करने का वैध आधार नहीं है।
02	<i>Gurshinder Singh v. Shriram General Insurance Co. Ltd.</i> ESCR010001702020	SUPREME COURT OF INDIA	2020	एफआईआर तत्काल होने पर बीमा कंपनी को देरी से सूचित करने मात्र से क्लेम खारिज नहीं होगा।
03	<i>New India Assurance Company Ltd. v. Permanent Lok Adalat (PUS), Rupnagar</i> PHHC011418422024	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2025	पुलिस को तत्काल सूचित करने और अनट्रेड्स रिपोर्ट स्वीकृत होने पर बीमा देरी महत्वहीन है।
04	<i>United India Insurance Co. Ltd. v. Samarjeet Singh</i> PHHC010783982016	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2016	केवल प्रक्रियात्मक विलम्ब और पुलिस की अनट्रेड्स रिपोर्ट स्वीकृत होने पर दावा अस्वीकार करना गलत है।
05	<i>Gulab Kothari v. Rajiv Chugh</i> CGHC010172912014	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2020	घायल व्यक्ति के अस्पताल में उपचार के कारण एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी उचित है।
06	<i>Shriram General Insurance Company Ltd. v. Arvind Chauhan & others</i> UKHC010005802017	HIGH COURT OF UTTARAKHAND	2020	पीड़ित के गंभीर आघात और अस्पताल में भर्ती होने से एफआईआर में देरी माफ की जानी चाहिए।
07	<i>United India Insurance Company Ltd. v. Smt. Renu</i> PHHC010893812010	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2011	दुर्घटना के बाद पीड़ित के उपचार को प्राथमिकता देने से एफआईआर में हुई देरी पूरी तरह उचित है।
08	<i>National Insurance Company Limited v. Sethia Oil Industries Limited</i> WBCHC00002552020	CALCUTTA HIGH COURT	2025	अत्यधिक, अस्पष्टीकृत विलम्ब और कपटपूर्ण मंशा का संदेह होने पर दावा खारिज करना न्यायसंगत है।
09	<i>2017 INSC 1001</i> ESCR010000942017	SUPREME COURT OF INDIA	2017	पुलिस के साथ चोरी गए वाहन को खोजने में व्यस्तता के कारण बीमा सूचना में देरी न्यायसंगत है।
10	<i>The New India Assurance Company Ltd. v. Permanent Lok Adalat</i> PHHC010849602012	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2013	वाहन चोरी के मामलों में चालक के लाइसेंस की वैधता जैसी विसंगतियां दावे की सत्यता पर प्रभाव नहीं डालतीं।
11	<i>Rajesh Kumar v. National Insurance Co. Ltd.</i> ESCR010007532024	SUPREME COURT OF INDIA	2024	दुर्घटना के बाद यात्रियों की जान बचाने हेतु वाहन असुरक्षित छोड़ने से हुई अतिरिक्त क्षति का दावा देय है।
12	<i>Jaina Construction Company v. The Oriental Insurance Company Limited & Anr.</i> ESCR010001542022	SUPREME COURT OF INDIA	2022	तत्काल एफआईआर दर्ज होने पर 5 महीने बाद बीमा सूचना देने पर भी क्लेम देय है।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
13	<i>National Insurance Company Limited v. Sarita Jaiswal</i> CGHC010226962015	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2024	चश्मदीनों की विश्वसनीय गवाही होने पर एफआईआर में हुई 40 दिनों की देरी महत्वहीन हो जाती है।
14	<i>Bajaj Allianz General Insurance Company Limited v. Mousumi Das (Chatterjee) & Ors.</i> WBCHCA0243462019	CALCUTTA HIGH COURT	2024	जालसाजी का स्पष्ट प्रमाण न होने पर एफआईआर में देरी दावे को खारिज करने का साधन नहीं हो सकती।
15	<i>National Insurance Co. Ltd. v. Kamala</i> HCMA011057482012	MADRAS HIGH COURT	2012	गंभीर शारीरिक और मानसिक आघात के कारण एफआईआर में हुई 9 दिन की देरी पूर्णतः स्वीकार्य है।
16	<i>Gurmel Singh v. Branch Manager, National Insurance Co. Ltd.</i> ESCR010001402022	SUPREME COURT OF INDIA	2022	चोरी गए मूल आरसी (RC) की अनुपलब्धता पर तकनीकी आधार पर दावा खारिज करना सेवा में कमी है।
17	<i>Bajaj Allianz General Insurance Company Limited v. Pogula Jayanth Reddy</i> HBHC010000632012	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2013	आपराधिक अदालत द्वारा आरोपी को सजा मिलने पर दुर्घटना की वास्तविकता पर संदेह नहीं किया जा सकता।
18	<i>Shriram General Insurance Company Limited v. Hiraundi Bai</i> CGHC010388052022	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2025	मानवीय परिस्थितियों में उपचार को वरीयता देने के कारण एफआईआर में देरी स्वाभाविक और माफ योग्य है।
19	<i>Dilawar Singh v. State of Delhi</i> ESCR010012862007	SUPREME COURT OF INDIA	2007	एफआईआर दर्ज करने में गंभीर और अस्पष्टीकृत देरी अभियोजन के पक्ष को कमजोर व संदिग्ध बनाती है।
20	<i>National Insurance Co. Ltd. v. Vinod Kumar</i> PHHC010986772016	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2016	पुलिस के उदासीन रवैये के कारण हुई एफआईआर की देरी के बाद तत्काल बीमा सूचना देय है।
21	<i>HDFC Ergo General Insurance Company Ltd. v. Laxmi Nath</i> MPHC010303152018	HIGH COURT OF MADHYA PRADESH	2023	एफआईआर में देरी या आपराधिक मामले में चालक के बरी होने से बीमा कंपनी का दायित्व खत्म नहीं होता।
22	<i>The Manager, New India Assurance Company Limited v. Amulya Kumar Nayak</i> ODHC010916642024	ORISSA HIGH COURT	2025	पॉलिसी में कोई सख्त समय-सीमा न होने पर बीमा कंपनी को विलम्ब से सूचना देना अप्रासंगिक है।
23	<i>The Oriental Insurance Co. Ltd. v. Munna Lal Gupta</i> DLHC010307062020	HIGH COURT OF DELHI	2023	जिरह के दौरान देरी पर आपत्ति न जताने पर बीमा कंपनी अपील स्तर पर आपत्ति नहीं उठा सकती।
24	<i>Ravi v. Badrinarayan and Ors.</i> ESCR010005262011	SUPREME COURT OF INDIA	2011	भारतीय वास्तविकताओं के तहत पीड़ित पक्ष से दुर्घटना के तुरंत बाद थाने भागने की उम्मीद अनुचित है।
25	<i>National Insurance Company Ltd. v. Babu Ram</i> HPHC010027112002	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2009	पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर बीमित व्यक्ति की शिकायत और पत्र दावे की सत्यता सिद्ध करते हैं।

IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

01 Dilip Jagdish Deshmukh v. Chandrakant Mahadeo Shinde

BOMBAY HIGH COURT • 2018-02-07 • FA/2538/2017

यह मामला एक motor accident claim से संबंधित है। Appellant एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, लेकिन Tribunal ने FIR दर्ज करने में हुई देरी और vehicle number में विसंगतियों का हवाला देते हुए उसके मुआवज़े के दावे को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि MACT के दावों में सबूतों का मूल्यांकन 'preponderance of probabilities' के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि 'proof beyond reasonable doubt' के आधार पर। न्यायालय ने Ravi v. Badrinarayan मामले के आधार पर कहा कि केवल FIR में देरी के कारण दावे को खारिज नहीं किया जा सकता, विशेषकर जब अन्य दस्तावेज़ जैसे MLC और spot panchanama दुर्घटना की पुष्टि करते हों। परिणामस्वरूप, Tribunal के निर्णय को रद्द कर दिया गया और मामले को मुआवज़े की गणना के लिए वापस भेज दिया गया।

निर्णय बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि दुर्घटना के दावों में एफआईआर दर्ज कराने में हुई प्रक्रियात्मक देरी को तकनीकी कारणों से घातक नहीं माना जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि जब तक दस्तावेज़ी प्रमाणों और परिस्थितियों से जालसाजी का संदेह न हो, तब तक मानवीय परिस्थितियों के तहत होने वाली देरी को उदारतापूर्वक माफ़ किया जाना चाहिए।

“In Ravi (supra), the Hon'ble Supreme Court, at paragraphs 20 to 23, has categorically ruled that delay in lodging FI R cannot be a ground to doubt the claimant's case. Knowing the Indian conditions as they are, we cannot expect a common man to first rush to the Police Station immediately after an accident. Human nature and family responsibilities occupy the mind of kith and kin to such an extent that they give more importance to get the victim treated rather than to rush to the Police Station. Under such circumstances, they are not expected to act mechanically with promptitude in lodging the FIR with the Police. Delay in lodging the FIR thus, cannot be the ground to deny justice to the victim. It cases of delay the Courts are required to examine the evidence with a closer scrutiny and in doing so; the contents of the FIR should also be scrutinized more carefully. If Court finds that there is no indication of fabrication or it has not been concocted or engineered to implicate innocent persons then, even if there is a delay in lodging the FIR, the claim case cannot be dismissed merely on that {8} fa253817.odt ground. 21 The purpose of lodging the FIR in such type of cases is primarily to intimate the police to initiate investigation of criminal offences. Lodging of FIR certainly proves factum of accident so that the victim is able to lodge a case for compensation but delay in doing so cannot be the main ground for rejecting the claim petition. In other words, although lodging of FIR is vital in deciding motor accident claim cases, delay in lodging the same should not be treated as fatal for such proceedings, if claimant has been able to demonstrate satisfactory and cogent reasons for it.”

BOMBAY HIGH COURT • 2018

स्रोत HCBM030277222017

02 Gurshinder Singh v. Shriram General Insurance Co. Ltd.

SUPREME COURT OF INDIA • 2020-01-24 • 2020 INSC 84

यह मामला वाहन चोरी की बीमा क्लेम से संबंधित है। याचिकाकर्ता का ट्रैक्टर चोरी होने पर FIR तुरंत दर्ज कराई गई थी, लेकिन बीमा कंपनी को सूचित करने में कुछ देरी हुई, जिसके आधार पर कंपनी ने क्लेम अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'Consumer Protection Act' एक कल्याणकारी कानून है और यदि FIR तुरंत दर्ज की गई है और बीमा कंपनी के सर्वेक्षक ने चोरी को वास्तविक पाया है, तो बीमा कंपनी को सूचित करने में केवल देरी के आधार पर क्लेम खारिज करना एक अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण है। न्यायालय ने Om Prakash v. Reliance General Insurance

के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि बीमा कंपनी को सूचित करने में मामूली देरी 'duty to co-operate' का उल्लंघन नहीं है और क्लेम को स्वीकार किया जाना चाहिए।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि यदि बीमाधारक ने चोरी के तत्काल बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करा दी है, तो पुलिस विभाग तुरंत सक्रिय हो जाता है। ऐसे में बीमा कंपनी को सूचना मिलने में मामूली देरी से कोई कानूनी नुकसान (prejudice) नहीं पहुंचता, क्योंकि मुख्य जांच का दायित्व पुलिस का है और चोरी की प्रमाणिकता स्थापित होने पर तकनीकी देरी के आधार पर दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

“In an appeal, this Court found that the claimant (the appellant therein) had assigned cogent reasons for the delay of 8 days in lodging the complaint. It further found that the word “immediately” cannot be construed narrowly so as to deprive claimant the benefit of the settlement of genuine claim, particularly when the delay was explained. It further held, that rejection of the claim on purely technical grounds and in a mechanical manner will result in loss of confidence of policy holders in the insurance industry. It further held, that if the reasons for delay in making a claim is satisfactorily explained, such a claim cannot be rejected on the ground of delay. This Court also held that it would not be fair and reasonable to reject the genuine claims which have already been verified and found to be correct by the investigator.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2020

स्रोत ESCR010001702020

03 New India Assurance Company Ltd. v. Permanent Lok Adalat (PUS), Rupnagar

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025-09-15 • CWP/28763/2024

यह मामला वाहन चोरी होने पर बीमा दावे को अस्वीकार करने से संबंधित है। New India Assurance Company Ltd. ने Permanent Lok Adalat द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें बीमा कंपनी को वाहन के नुकसान के लिए भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। बीमा कंपनी का तर्क था कि चोरी की सूचना देने और FIR दर्ज कराने में देरी के कारण पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। हालांकि, न्यायालय ने Gurshinder Singh v. Shriram General Insurance Co. Ltd. का हवाला देते हुए माना कि यदि FIR समय पर दर्ज की गई है और चोरी का मामला वास्तविक पाया गया है, तो बीमा कंपनी को सूचना देने में हुई देरी के आधार पर दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने लोक अदालत के निर्णय को बरकरार रखा लेकिन दावे की राशि को संशोधित कर उसे पॉलिसी में निर्धारित insured value (Rs.7,99,892/-) तक सीमित कर दिया।

निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वाहन चोरी के मामलों में मुख्य भूमिका पुलिस की होती है, जो एफआईआर के आधार पर वाहन की तलाश और अपराधी को पकड़ने का प्रयास करती है। बीमा कंपनी का सर्वेक्षक केवल घटना की वास्तविकता की पुष्टि करता है। अतः, जब पुलिस अनट्रैड रिपोर्ट जमा कर चुकी हो और मजिस्ट्रेट ने उसे स्वीकार कर लिया हो, तो बीमा कंपनी को सूचना देने में हुई 12 दिनों की देरी पूरी तरह से महत्वहीन हो जाती है।

““20. We, therefore, hold that when an insured has lodged the FIR immediately after the theft of a vehicle occurred and when the police after investigation have lodged a final report after the vehicle was not traced and when the surveyors/investigators appointed by the insurance company have found the claim of the CWP-28763-2024 -4- 105 theft to be genuine, then mere delay in intimating the insurance company about the occurrence of the theft cannot be a ground to deny the claim of the insured.” 8. In Dharamender Versus United India Insurance Co. Ltd. & Ors. (2024) 1 SCC 381, Supreme Court came to the conclusion that argument regarding delay in lodging the FIR need not be examined as the case of the insurance company throughout has been based upon the delay in intimation to the insurance company.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025

स्रोत PHHC011418422024

04 United India Insurance Co. Ltd. v. Samarjeet Singh

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2016-07-28 • CWP/13922/2016

यह मामला बीमा दावे के निपटान से संबंधित है। याचिकाकर्ता (बीमा कंपनी) ने Permanent Lok Adalat के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें उत्तरदाता (बीमाधारक) को बीमा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। बीमा कंपनी का तर्क था कि घटना की सूचना मिलने में देरी हुई थी, इसलिए दावा खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने माना कि केवल प्रक्रियात्मक देरी के आधार पर दावे को खारिज करना उचित नहीं है, खासकर जब घटना की सत्यता पर कोई संदेह न हो। न्यायालय ने बीमा कंपनी की दलील को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और Lok Adalat का आदेश कानूनी रूप से सही था। अंततः, न्यायालय ने याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया।

निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि बीमा कंपनी को सूचना देने का मुख्य उद्देश्य दावे की सच्चाई की जांच करना है। यदि पुलिस ने मामले की गहन जांच की और अंततः वाहन न मिलने पर न्यायालय में "untraceable" रिपोर्ट पेश की, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तो केवल प्रक्रियात्मक विलंब दावे को खारिज करने का वैध आधार नहीं बनता।

“if there was a delay in informing the insurer it was surely relevant for assessing the truth of the claim but it cannot be such as to provide cause for the insurance to repudiate in the same manner that the claim beyond the limitation could be said to be barred. The statutory bar for lodging a complaint for recovery of the amount of a policy of insurance is at all times three years as per Article 44 (b) of the Limitation Act, 1963, the period of which will commence from the occurrence of loss or where the claim of the policy is denied. Case law relied upon by the applicant is to be followed.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2016

स्रोत PHHC010783982016

05 Gulab Kothari v. Rajiv Chugh

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2020-09-17 • MAC/776/2014

यह मामला Section 173 of the Motor Vehicle Act, 1988 के तहत दायर एक अपील से संबंधित है। दुर्घटना में घायल हुई महिला (Claimant) ने आरोप लगाया कि एक कार की टक्कर से उन्हें चोटें आईं और उनकी हड्डी टूट गई। बीमा कंपनी (Appellant) ने देरी से FIR दर्ज करने और साक्ष्यों के अभाव का तर्क देते हुए दुर्घटना की घटना को मनगढ़ंत बताया। उच्च न्यायालय ने पाया कि अस्पताल के दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से 'dash with Car' का उल्लेख था और उपचार के दौरान घायल महिला की व्यस्तता देरी का एक वैध कारण थी। न्यायालय ने बीमा कंपनी की दलीलों को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा दिए गए मुआवजे के फैसले को सही ठहराया और अपील को खारिज कर दिया।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत दावों के लिए मानवीय आधारों और व्यावहारिक परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीड़ित पक्ष से दुर्घटना के तुरंत बाद थाने भागने की उम्मीद करना अमानवीय है; यदि अस्पताल के रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य घटना की सत्यता को प्रमाणित करते हैं, तो एफआईआर में देरी के आधार पर दावे को खारिज नहीं किया जा सकता।

“17. It is well-settled that delay in lodging FIR cannot be a ground to doubt the claimant's case. Knowing the Indian conditions as they are, we cannot expect a common man to first rush to the Police Station immediately after an accident. Human nature and family responsibilities occupy the mind of kith and kin to such an extent that they give more importance to get the victim treated rather than to rush to the Police Station. Under such circumstances, they are not expected to act mechanically with promptitude in lodging the FIR with the Police. Delay in lodging the FIR thus, cannot be the ground to deny justice to the victim.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2020

स्रोत CGHC010172912014

06 Shriram General Insurance Company Ltd. v. Arvind Chauhan & others

HIGH COURT OF UTTARAKHAND • 2020-02-24 • A0/406/2017

यह मामला Motor Accident Claims Tribunal द्वारा दिए गए मुआवजे के फैसले के खिलाफ Shriram General Insurance Company Ltd. द्वारा दायर की गई अपील से संबंधित है। अपीलकर्ता ने मुख्य रूप से दुर्घटना की FIR दर्ज करने में हुई पांच महीने की देरी को चुनौती दी थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चोटों के कारण पीड़ित के अस्पताल में भर्ती होने और उसकी अक्षमता के कारण देरी उचित थी। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने Ravi v. Badrinarayan के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि FIR में देरी मुआवजे के दावे को खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है। अंत में, उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया और मुआवजे को सही माना।

निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के कानून को दोहराया कि एफआईआर दर्ज कराने का प्राथमिक उद्देश्य केवल पुलिस को अपराध की जांच शुरू करने के लिए सूचित करना है। यदि घायल पीड़ित की स्थिति और अस्पताल में भर्ती होने के ठोस दस्तावेजी प्रमाण हैं, तो ऐसी देरी को निरस्त करने का हथियार नहीं बनाया जा सकता।

““17. It is well settled that delay in lodging the FIR cannot be a ground to doubt the claimant's case. Knowing the Indian conditions as they are, we cannot expect a common man to first rush to the police station immediately after an accident. Human nature and family responsibilities occupy the mind of kith and kin to such an extent that they give more importance to get the victim treated rather than to rush to the police station. Under such circumstances, they are not expected to act mechanically with promptitude in lodging the FIR with the police. Delay in lodging the FIR thus, cannot be the ground to deny justice to the victim.”

HIGH COURT OF UTTARAKHAND • 2020

स्रोत UKHC010005882017

07 United India Insurance Company Ltd. v. Smt. Renu

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2011-10-31 • FA0/4803/2010

यह मामला एक सड़क दुर्घटना के मुआवजे से संबंधित है जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई थी। बीमा कंपनी (appellant) ने Motor Accident Claims Tribunal द्वारा दिए गए मुआवजे के आदेश को चुनौती दी थी। कंपनी ने FIR में देरी, contributory negligence और मृतक की आय के आकलन पर सवाल उठाए थे। उच्च न्यायालय ने माना कि दुर्घटना के बाद पीड़ित के परिवार के लिए इलाज को प्राथमिकता देना स्वाभाविक है, इसलिए FIR में मामूली देरी मुआवजे के दावे को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती। न्यायालय ने tribunal के निर्णय को सही ठहराया और पाया कि मृतक की आय के दस्तावेज संतोषजनक थे। अंततः, न्यायालय ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया और मुआवजा बरकरार रखा।

निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह दोहराया कि जब तक एफआईआर में जालसाजी या किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की दुर्भावना स्पष्ट रूप से सिद्ध न हो, तब तक केवल एफआईआर में देरी के आधार पर दावे को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

“20. It is well-settled that delay in lodging FIR cannot be a ground to doubt the claimant's case. Knowing the Indian conditions as they are, we cannot expect a common man to first rush to the Police Station immediately after an accident. Human nature and family responsibilities occupy the mind of kith and kin to such an extent that they give more importance to get the victim treated rather than to rush to the Police Station. Under such circumstances, they are not expected to act mechanically with promptitude in lodging the FIR with the Police. Delay in lodging the FIR thus, cannot be the ground to deny justice to the victim.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2011

स्रोत PHHC010893812010

08 National Insurance Company Limited v. Sethia Oil Industries Limited

CALCUTTA HIGH COURT • 2025-08-20 • APD/1/2020

यह मामला एक Marine Cargo Open Policy के तहत बीमा दावे के भुगतान से संबंधित है। Respondent ने चावल की भूसी के तेल के परिवहन के दौरान तीन वाहनों के नुकसान और दुर्घटना के कारण हुए नुकसान के लिए Insurance Company के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। Insurance Company ने अति-भार (overloading) और नीति की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए दावे को खारिज कर दिया था। एकल न्यायाधीश ने Respondent के पक्ष में फैसला सुनाया और पाया कि Insurance Company उल्लंघन साबित करने में विफल रही। Appellate Division के समक्ष, Insurance Company ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने अपर्याप्त साक्ष्यों और बिना सिद्ध किए गए सर्वेयर रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया और दावा Limitation Act के तहत वर्जित था। न्यायालय ने मामले के तथ्यों और कानूनी तर्कों का पुनरावलोकन किया।

निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बीमा अनुबंध परम सद्भाव (utmost good faith/uberrima fides) के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। यदि एफआईआर दर्ज करने या बीमा कंपनी को सूचित करने में अत्यधिक और पूरी तरह से अस्पष्टीकृत देरी होती है, और यह देरी किसी संदिग्ध मंशा, तथ्यों को छिपाने या गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करती है, तो ऐसी असाधारण परिस्थितियों में दावे को अस्वीकार किया जाना पूरी तरह से विधि सम्मत होगा।

“According to the principle of “Uber rima Fides” as enunciated under Section 45 of the Insurance Act, 1932, any fraudulent misrepresentation, knowledge of misrepresentation of the insured, his deliberate non-compliance with breach of duty of good faith, utmost care, to be accurate with his statements and information asymmetries due to such accuracy of the statement made by him, any material misrepresentation or concealment would render him liable under the exclusion clauses of the insurance policy. The legal standards for identifying suspicious circumstances leading to the rejection of vehicle insurance claims during transit preliminary hinge on the timing and manner of compliance with statutory and policy conditions, the materiality of non-disclosures or breaches and the presence of genuine, bona fide reasons for any irregularities. The Court is vested with the duty to scrutinise whether deviations from policy conditions are material and whether they suggest mala fide intent or concealment which could justify repudiation.”

CALCUTTA HIGH COURT • 2025

स्रोत WBCHC00002552020

09 2017 INSC 1001

SUPREME COURT OF INDIA • 2017-10-04 • 2017 INSC 1001

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यदि बीमा दावे को दाखिल करने या बीमा कंपनी को सूचित करने में हुई 8 दिनों की देरी को बीमाधारक द्वारा तार्किक रूप से स्पष्ट किया गया है (जैसे कि वह पुलिस अधिकारियों के साथ वाहन को खोजने में लगातार व्यस्त था और पुलिस के कहने पर आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर रहा था), तो ऐसे वास्तविक दावों को केवल तकनीकी आधारों पर खारिज नहीं किया जा सकता।

“It is common knowledge that a person who lost his vehicle may not straightaway go to the Insurance Company to claim compensation. At first, he will make efforts to trace the vehicle. It is true that the owner has to intimate the insurer immediately after the theft of the vehicle. However, this condition should not bar settlement of genuine claims particularly when the delay in intimation or submission of documents is due to unavoidable circumstances. The decision of the insurer to reject the claim has to be based on valid grounds. Rejection of the claims on purely technical grounds in a mechanical manner will result in loss of confidence of policy-holders in the insurance industry. If the reason for delay in making a claim is satisfactorily explained, such a claim cannot be rejected on the ground of delay.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2017

स्रोत ESCR010000942017

10 The New India Assurance Company Ltd. v. Permanent Lok Adalat

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2013-03-25 • CWP/3569/2012

यह मामला एक बीमा कंपनी द्वारा कार चोरी के दावे को खारिज करने से संबंधित है। दावेदार की कार चोरी हो गई थी, जिसे कंपनी ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि बीमित व्यक्ति ने चालक को नियुक्त करते समय उचित सावधानी नहीं बरती और उसका ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी था। Permanent Lok Adalat ने दावे को सही ठहराया। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि चोरी का दावा दुर्घटना से अलग है, जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता का कम महत्व होता है। न्यायालय ने माना कि बीमित व्यक्ति की ओर से लापरवाही का आरोप दावे को खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं है, विशेषकर जब सर्वेक्षक की रिपोर्ट ने भी नुकसान को वास्तविक माना हो। अंततः, न्यायालय ने बीमा कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना कि बीमा अनुबंध सद्भाव पर आधारित होते हैं, लेकिन बीमित व्यक्ति पर चोरी के दावों में उन तकनीकी विसंगतियों (जैसे चालक की नियुक्ति के दौरान हुई मामूली असावधानी) का आरोप नहीं मढ़ा जा सकता जिनका चोरी की वास्तविक घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। जब स्वतंत्र जांचकर्ता और सर्वेक्षक ने चोरी को सही पाया हो, तो दावे का भुगतान किया जाना चाहिए।

“The Surveyor was deputed by the Insurer on 28.9.2010 to investigate into the theft of the vehicle stolen on 23.9.2010. It has been opined at the end of the report that the loss was independently investigated and it was CWP No.3569 of 2012 -4- recommended as follows: “found the same is genuine and keeping in view the loss may be settled as per the policy conditions”. Though a Surveyor's report may not be final but it is a valuable document coming from the pocket of the insurer. It has also not been assailed before this Court as improper or incorrect.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2013

स्रोत PHHC010849602012

11 Rajesh Kumar v. National Insurance Co. Ltd.

SUPREME COURT OF INDIA • 2024-12-17 • ESCR010007532024

यह मामला एक Motor Vehicle Accident दावे से संबंधित है। Appellant की कार दुर्घटनाग्रस्त होकर एक खाई में गिर गई थी, और घायल सह-यात्री को अस्पताल ले जाने की जल्दबाजी में वाहन को वहीं छोड़ दिया गया था, जिससे शॉर्ट-सर्किट के कारण कार को और अधिक नुकसान हुआ। बीमा कंपनी ने इसे पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना। District और State Commissions ने Appellant के पक्ष में निर्णय दिया, लेकिन National

Commission ने बीमा राशि में कटौती कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि National Commission ने अपने Revisional Jurisdiction का अतिक्रमण किया है, क्योंकि वह तथ्यों की concurrent findings में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। न्यायालय ने माना कि Appellant ने विवशता में यह कदम उठाया था। अतः, Supreme Court ने National Commission के आदेश को रद्द कर State Commission के आदेश को बहाल कर दिया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आपातकालीन स्थितियों और मानवीय जीवन को बचाने के प्रयासों के कारण यदि वाहन को बिना सुरक्षा के छोड़ना पड़ता है और बाद में कोई अतिरिक्त नुकसान होता है या दावे में कुछ समय का विलंब होता है, तो बीमा कंपनी शर्तों के उल्लंघन का हवाला देकर क्लेम को रोक नहीं सकती। ऐसी देरी और परिस्थितियों को तार्किक रूप से माफ किया जाना चाहिए।

“the District Commission held that the delay in intimating the insurer was caused due to the appellant’s attempts to rescue his co-passenger and that, by itself, cannot be fatal to the insurance claim. The Commission also found that the 2 Hereinafter, referred to as the ‘District Commission’. 3 Hereinafter, referred to as the ‘State Commission’. 1112 [2024] 12 S.C.R. Supreme Court Reports appellant’s claim was genuine and it is evidenced by prompt reporting to the police... In any event, the respondent has not explained as to how the unavailability of the appellant during the said period has led to further damage of the vehicle and that burden heavily lies on the respondent and the same was not discharged.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2024

स्रोत ESCR010007532024

12 Jaina Construction Company v. The Oriental Insurance Company Limited & Anr.

SUPREME COURT OF INDIA • 2022-02-11 • 2022 INSC 177

यह मामला वाहन चोरी के बीमा दावे से संबंधित है। याचिकाकर्ता के वाहन की चोरी होने पर FIR तुरंत दर्ज की गई थी, लेकिन बीमा कंपनी को इसकी सूचना देने में देरी हुई, जिसके आधार पर कंपनी ने दावे को खारिज कर दिया। न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि दावे की सत्यता पर संदेह न हो, तो केवल सूचना देने में देरी के आधार पर बीमा कंपनी दावे को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं कर सकती है। न्यायालय ने Gurshinder Singh v. Shriram General Insurance Company Ltd. के निर्णय पर भरोसा करते हुए NCDRC के आदेश को रद्द कर दिया और State Commission के उस आदेश को बहाल रखा जिसने दावे को स्वीकार किया था।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जहाँ प्राथमिकी (FIR) तुरंत दर्ज कराई गई थी और आरोपी को पुलिस ने पकड़ भी लिया था, लेकिन वाहन बरामद नहीं किया जा सका, वहां बीमा कंपनी को 5 महीने के विलंब के बाद दी गई सूचना दावे को खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं है। नीति की मुख्य शर्त पुलिस को तुरंत सूचित करने की है ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके, जो इस मामले में पूरी की गई थी।

“At the outset, it may be noted that there being a conflict of decisions of the Bench of two Judges of this Court in case of Om Prakash vs. Reliance General Insurance & Another and in case of Oriental Insurance Company Limited vs. Parvesh Chander Chadha, on the question as to whether the delay occurred in informing the Insurance Company about the occurrence of the theft of the vehicle, though the FIR was registered immediately, would disentitle the claimant of the insurance claim, the matter was referred to a three Judge Bench. The three Judge Bench in case of Gurshinder Singh vs. Shriram General Insurance Company Ltd. & Another reported in 2020 (11) SCC 612 in similar case as on hand, interpreted the very condition no. 1 of the Insurance Contract and observed as under:”

SUPREME COURT OF INDIA • 2022

स्रोत ESCR010001542022

National Insurance Company Limited v. Sarita Jaiswal

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2024-06-24 • MAC/709/2015

यह मामला Motor Vehicles Act, 1988 के तहत मुआवजे के दावे से संबंधित है। बीमा कंपनी ने Claims Tribunal द्वारा दिए गए मुआवजे के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि दुर्घटना में उनके वाहन की संलिप्तता संदिग्ध थी और FIR दर्ज करने में 40 दिनों की देरी हुई थी। न्यायालय ने बीमा कंपनी के तर्कों को खारिज कर दिया क्योंकि कंपनी के गवाहों द्वारा पेश किए गए दस्तावेज असंगत थे और उन्होंने वाहन की आवाजाही का कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं रखा था। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने माना कि केवल FIR में देरी के आधार पर दावे को खारिज नहीं किया जा सकता, विशेषकर जब प्रत्यक्षदर्शी (eye witness) की गवाही से दुर्घटना की पुष्टि होती है। न्यायालय ने Tribunal के निर्णय को सही ठहराते हुए बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी।

निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दुर्घटना और चोरी की सत्यता की पुष्टि की गई हो, और मृतक के रीति-रिवाजों या अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण एफआईआर दर्ज कराने में 40 दिनों का विलंब हुआ हो, तो ऐसी देरी को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

“FIR in this regard was lodged on 24.04.2009 i.e. after about about 40 days of the incident. The eye witness to the accident namely Ramswarup who was travelling along with the deceased Omprakash Jaiswal had informed the son of the deceased about the incident. But at that time, he had not told the vehicle number to the son of the deceased and after 13-day rituals of the deceased he told him the vehicle number and after that the FIR was lodged. Therefore, the delay occurred in lodging the FIR. Hence, in the light of the aforesaid judgments of the Hon'ble Supreme Court and taking into consideration the facts and circumstances of the case, the ground of delay in lodging the FIR raised by the Insurance Company also stands negated.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2024

स्रोत CGHC010226962015

14 Bajaj Allianz General Insurance Company Limited v. Mousumi Das (Chatterjee) & Ors.

CALCUTTA HIGH COURT • 2024-01-10 • COT/53/2019

यह मामला एक मोटर दुर्घटना मुआवजे से संबंधित है। दुर्घटना में victim की मृत्यु के बाद, उनके आश्रितों ने Section 166 of the Motor Vehicles Act, 1988 के तहत मुआवजे के लिए आवेदन किया था। बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि शामिल ट्रक का दुर्घटना में कोई संबंध नहीं था और FIR दर्ज करने में देरी हुई थी। हालांकि, Tribunal ने साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शी के बयानों के आधार पर दुर्घटना में ट्रक की संलिप्तता को सही माना। High Court ने इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि नागरिक मामलों में मुआवजे का निर्धारण 'preponderance of probabilities' के आधार पर किया जाता है। अदालत ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया और मुआवजे के दावे को साक्ष्य-आधारित मानते हुए Tribunal के निर्णय को पुष्ट किया।

निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दोहराया कि एफआईआर दर्ज कराने में हुई देरी स्वतः ही दावों के प्रति अविश्वास का कारण नहीं बन सकती, विशेष रूप से तब जब दुर्घटना या चोरी की घटना अन्य स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्यों (जैसे प्रत्यक्षदर्शियों के बयान) से पूरी तरह सिद्ध होती हो।

“If Court finds that there is no indication of fabrication or it has not been concocted or engineered to implicate innocent persons then, even if there is a delay in lodging the FIR, the claim case cannot be dismissed merely on that ground.” Thus, bearing in mind the aforesaid proposition laid down by the Hon’ble Supreme Court and in the absence of any evidence of fabrication or concoction or engineering of the F.I.R., delay per se in lodging of the F.I.R. in the facts and circumstances of the present case does not make the claimants’ case doubtful.”

CALCUTTA HIGH COURT • 2024

स्रोत WBCHCA0243462019

15 National Insurance Co. Ltd. v. Kamala

MADRAS HIGH COURT • 2012-11-27 • CMA/3505/2012

यह मामला एक मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावे से संबंधित है। बीमा कंपनी ने मुआवजे के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि दुर्घटना की FIR दर्ज कराने में 9 दिन की देरी हुई थी और एक्सीडेंट रजिस्टर में दर्ज जानकारी (साइकिल से गिरना) और दावे के बीच विरोधाभास था। न्यायालय ने माना कि FIR में वाहन संख्या का उल्लेख न होना या रिपोर्ट में देरी होना केवल इसी आधार पर दावा खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है, विशेषकर जब दुर्घटना में गंभीर सिर की चोट आई हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मानवीय आधार पर और अस्पताल में इलाज की प्राथमिकता के कारण देरी हो सकती है। अंततः, न्यायालय ने दुर्घटना में वाहन की संलिप्तता को पुष्ट मानते हुए बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी और मुआवजे के फैसले को बरकरार रखा।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि चोट के प्रभाव, मानसिक और शारीरिक सदमे तथा अस्पताल में त्वरित उपचार की आवश्यकता के कारण एफआईआर दर्ज कराने में हुई देरी को पूरी तरह से माफ़ किया जाना चाहिए। केवल प्रक्रियात्मक त्वरितता की अपेक्षा करना कानून की भावना के प्रतिकूल है।

“Under such circumstances, they are not expected to act mechanically with promptitude in lodging the FIR with the Police. Delay in lodging the FIR thus, cannot be the ground to deny justice to the victim. In cases of delay, the courts are required to examine the evidence with a closer scrutiny and in doing so; the contents of the FIR should also be scrutinized more carefully. If court finds that there is no indication of fabrication or it has not been concocted or engineered to implicate innocent persons then, even if there is a delay in lodging the FIR, the claim case cannot be dismissed merely on that ground.”

MADRAS HIGH COURT • 2012

स्रोत HCMA011057482012

16 Gurmel Singh v. Branch Manager, National Insurance Co. Ltd.

SUPREME COURT OF INDIA • 2022-05-20 • 2022 INSC 619

यह मामला बीमा दावे के निपटान में बीमा कंपनी द्वारा अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने से संबंधित है। Appellant का ट्रक चोरी हो गया था, जिसके लिए उसने बीमा कंपनी के पास दावा दायर किया था। बीमा कंपनी ने मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र (Registration Certificate) की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए दावा खारिज कर दिया। हालांकि, Appellant ने पंजीकरण की फोटोकॉपी और अन्य विवरण प्रदान किए थे, लेकिन चोरी की सूचना के कारण RTO ने डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बीमा कंपनी का ऐसे दस्तावेजों की मांग करना अनुचित है जिन्हें प्राप्त करना Appellant के नियंत्रण से बाहर था। न्यायालय ने इसे 'Deficiency in Service' माना और बीमा कंपनी को दावा राशि, ब्याज और मुकदमेबाजी लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने बीमा कंपनियों को चेतावनी दी कि वे दावों के निपटान में अत्यधिक कठोर और मनमाना तकनीकी दृष्टिकोण न अपनाएं। यदि वाहन चोरी हो गया है और मूल आरसी (RC) भी वाहन के साथ चली गई है, तथा पुलिस चोरी की रिपोर्ट दर्ज होने के कारण सिस्टम को ब्लॉक कर देती है जिससे डुप्लिकेट आरसी जारी नहीं हो पाती, तो बीमाधारक को फोटोकॉपी के आधार पर दावा भुगतान पाने का पूर्ण अधिकार है।

“While settling the claims, the insurance company should not be too technical and ask for the documents, which the insured is not in a position to produce due to circumstances beyond his control. ... In many cases, it is found that the insurance companies are refusing the claim on flimsy grounds and/or technical grounds. While settling the claims, the insurance company should not be too technical and ask for the documents, which the insured is not in a position to produce due to circumstances beyond his control. GURMEL SINGH v. BRANCH MANAGER, NATIONAL INSURANCE CO. LTD.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2022

स्रोत ESCR010001402022

17 Bajaj Allianz General Insurance Company Limited v. Pogula Jayanth Reddy

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2013-07-19 • MACMA/1192/2012

यह मामला एक मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावे से संबंधित है। बीमा कंपनी ने दुर्घटना की वास्तविकता, देरी से FIR दर्ज होने, ड्राइवर के लाइसेंस की वैधता और मुआवजे की राशि को चुनौती दी थी। न्यायालय ने Ravi v. Badrinarayan मामले का हवाला देते हुए कहा कि देरी से FIR दर्ज होने मात्र से दावा खारिज नहीं किया जा सकता, यदि दुर्घटना वास्तविक हो। इसके अलावा, S. Iyyapan v. M/s. United India Insurance Company Limited के आधार पर बीमा कंपनी को मुआवजे के दायित्व से मुक्त नहीं किया गया। अंत में, बीमा कंपनी और याचिकाकर्ता की सहमति के आधार पर, चिकित्सा खर्चों की राशि को कम करके निपटारा किया गया।

निर्णय न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यदि आपराधिक न्यायालय में दोषी द्वारा अपना अपराध स्वीकार कर लिया गया है, तो केवल एफआईआर या चार्जशीट दाखिल करने में हुई प्रक्रियात्मक देरी दुर्घटना या चोरी की विश्वसनीयता को समाप्त नहीं कर सकती।

“If the court finds that there is no indication of fabrication or it has not been concocted or engineered to implicate innocent persons then, even if there is a delay in lodging the FIR, the claim case cannot be dismissed merely on that ground. The purpose of lodging the FIR in such type of cases is primarily to intimate the police to initiate investigation of criminal offences. Lodging of FIR certainly proves that factum of accident so that the victim is able to lodge a case for compensation but delay in doing so cannot be the main ground for rejecting the claim petition.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2013

स्रोत HBHC010000632012

18 Shriram General Insurance Company Limited v. Hiraundi Bai

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2025-07-15 • MAC/1359/2022

यह मामला Motor Vehicles Act की Section 173 के तहत एक अपील से संबंधित है, जिसे Shriram General Insurance Company Limited द्वारा Motor Accidents Claim Tribunal के अवार्ड को चुनौती देते हुए दायर किया गया था। बीमा कंपनी का मुख्य तर्क यह था कि FIR दर्ज करने में हुई देरी के आधार पर मुआवजा दावे को खारिज किया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के Ravi v. Badrinarayan मामले के निर्णय का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि केवल FIR में देरी के आधार पर दावे को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुर्घटना के बाद पीड़ित के परिजनों की प्राथमिकता अस्पताल में उपचार कराना होता है। अतः, न्यायालय ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया।

निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मानवीय संवेदनाओं और वास्तविक उपचार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, एफआईआर में होने वाली देरी को हमेशा माफ किया जाना चाहिए और इसे दावों को निरस्त करने का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए।

“In this regard, the decision rendered by the Supreme Court in the matter of Ravi Vs Badrinarayan and others 1 may be notice herein profitably in which their Lordships have clearly held that delay in lodging FIR cannot be a ground to doubt the claimant's case and observed in para 17 & 19 as under... In that view of the matter, the delay in lodging the FIR can not be a ground to reject the claimant's case.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2025

स्रोत CGHC010388052022

19 Dilawar Singh v. State of Delhi

SUPREME COURT OF INDIA • 2007-09-05 • 2007 INSC 893

यह मामला डकैती और हथियार ले जाने के आरोपों से संबंधित है, जिसमें अपीलकर्ता को Indian Penal Code, 1860 की धारा 397 के तहत दोषी ठहराया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि FIR दर्ज करने में हुई देरी के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, जो अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बनाता है। इसके अलावा, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 397 के तहत दोषसिद्धि के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि आरोपी ने वास्तव में घातक हथियार का उपयोग किया था, और चूंकि यहाँ कोई चोट नहीं पहुँचाई गई थी, इसलिए यह अपराध सिद्ध नहीं होता। साक्ष्यों में विसंगतियों और प्रक्रियात्मक कमियों को देखते हुए, न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शिकायत दर्ज कराने में होने वाली अत्यधिक और पूरी तरह से अस्पष्टीकृत देरी मामले की विश्वसनीयता को संदिग्ध बना देती है। यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है, तो बीमित व्यक्ति या शिकायतकर्ता को धारा 154(3) और धारा 156(3) CrPC के तहत उच्च अधिकारियों या मजिस्ट्रेट के समक्ष वैकल्पिक कानूनी प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए।

“The complainant has attempted to explain the delay by stating that the matter was reported to the police but the police did not take any action. G Such statement can hardly be taken to have explained the delay. It is the simplest of things to contend that the police, though report had been lodged with it, had not taken any steps. But it has to be established by calling for the necessary records from the police to substantiate that in fact a report with the police had been lodged and that the police failed to take up the case. The principle has been statutorily recognised in Section 210 of the Cr.P.C.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2007

स्रोत ESCR010012862007

20 National Insurance Co. Ltd. v. Vinod Kumar

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2016-04-29 • CWP/7520/2016

यह मामला एक इंश्योरेंस कंपनी द्वारा Permanent Lok Adalat के उस निर्णय को चुनौती देने के बारे में था, जिसमें चोरी हुई कार के दावे को स्वीकार किया गया था। याचिकाकर्ता (Insurance Company) का तर्क था कि FIR दर्ज करने और कंपनी को घटना की सूचना देने में देरी हुई, इसलिए दावा खारिज होना चाहिए। न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी (Respondent No.1) ने पुलिस अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण FIR दर्ज करने में देरी का उचित कारण दिया था और FIR के तुरंत बाद कंपनी को सूचित कर दिया था। न्यायालय ने माना कि Oriental Insurance Co. Ltd. v. Parvesh Chander Chadha का निर्णय यहाँ लागू नहीं होता क्योंकि उस मामले में देरी अत्यधिक थी। अंततः, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि यदि पुलिस अधिकारियों के उदासीन रवैये या टालमटोल के कारण एफआईआर दर्ज होने में 8 दिनों की देरी होती है, परंतु एफआईआर दर्ज होने के तत्काल बाद बीमित व्यक्ति बीमा कंपनी को सूचित कर देता है, तो इस देरी को पूरी तरह से माफ़ किया जाना चाहिए।

“but insofar as the present case is concerned, the reasons have been given by respondent No.1 for non-registration of the FIR because of indifferent attitude of the police officials to whom he had made a call at No.100 and also gave an application mark 'X' to the SHO, Police Station... Thus, in view of these facts and circumstances, I do not find any merit in the present petition and hence, the same is hereby dismissed.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2016

स्रोत PHHC010986772016

21 HDFC Ergo General Insurance Company Ltd. v. Laxmi Nath

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2023-11-28 • MA/3136/2018

यह मामला एक सड़क दुर्घटना के मुआवजे से संबंधित है जिसमें मृतक Sunil Nath की मृत्यु के बाद बीमा कंपनी ने मुआवजे को चुनौती दी थी। बीमा कंपनी का तर्क था कि दुर्घटना के संबंध में FIR में देरी हुई, चश्मदीद गवाह अविश्वसनीय था, और चालक बरी हो चुका था। उच्च न्यायालय ने माना कि केवल FIR में देरी या आपराधिक मामले में बरी होने का आधार दावे को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यदि अन्य साक्ष्य दुर्घटना की पुष्टि करते हैं। न्यायालय ने पाया कि Motor Vehicles Act के तहत दावा सबूतों पर आधारित है और अपराधी का दोष सिद्ध होना अनिवार्य नहीं है। अतः न्यायालय ने मुआवजे की राशि को उचित मानते हुए बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया।

निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि पुलिस को अस्पताल या चिकित्सा सूत्रों से दुर्घटना की जानकारी पहले ही प्राप्त हो चुकी हो, तो परिजनों द्वारा बाद में दर्ज कराई गई एफआईआर में हुई देरी पूरी तरह से तार्किक है और बीमा कंपनी को अपने दायित्वों से मुक्त होने का अवसर नहीं प्रदान करती।

“So above discussion it is found that explanation of delaying the FIR is sufficient so, on the basis of delaying the FIR claim case has not been discarded. 12. Learned counsel for the Insurance Company submits that driver of the offending vehicle was acquitted from the criminal court. In Rajjoo Yadav (Dr) versus Imrat Singh Alias Amrit Singh 2002 (II) M.P.W.N SN 24 6 coordinate Bench of this High Court Court has held that the acquittal of the accused in criminal trial does not absolve him from the liability of compensation.”

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2023

स्रोत MPHC010303152018

22 The Manager, New India Assurance Company Limited v. Amulya Kumar Nayak

ORISSA HIGH COURT • 2025-01-17 • WP(C)/98/2025

यह मामला वाहन चोरी के दावे के भुगतान से संबंधित है। बीमा कंपनी ने चालक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का हवाला देते हुए दावे को अस्वीकार कर दिया था। District Consumer Dispute Redressal Commission (DCDRC) ने दावे को स्वीकार किया, लेकिन State Commission ने इसे उलट दिया। अंततः, National Consumer Dispute Redressal Commission (NCDRC) ने DCDRC के आदेश को बहाल कर दिया। Orissa High Court ने बीमा कंपनी की रिट याचिका को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन या FIR/दावा दायर करने में देरी के आधार पर कंपनी का दावा खारिज करने का कोई ठोस आधार नहीं है और पहले से ही उपभोक्ता मंचों द्वारा इस पर उचित निर्णय लिया जा चुका है।

निर्णय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने माना कि सामान्य बीमा पॉलिसियों की शर्तें कभी भी बीमा कंपनी को सूचित करने के लिए कोई सख्त समय-सीमा निर्धारित नहीं करतीं। उनका मुख्य उद्देश्य चोरी की स्थिति में पुलिस को सूचित करना और अपराधियों को सजा दिलाने में सहयोग करना होता है। अतः, जब तक स्पष्ट उल्लंघन सिद्ध न हो, केवल 5-6 दिनों की प्रक्रियात्मक देरी दावे को खारिज करने का कारण नहीं बन सकती।

“Since, the policy conditions never stipulates any time to lodge an FIR, it cannot be said that mere delay of five or six days is sufficient to repudiate the genuine claim of a person... In this case, one of the contentions of the Insurance Company is delay in intimating the Company, but the same is not a ground to repudiate the claim as there was no condition stipulated in the policy specifying any time for intimating the company or lodging of FIR, much less condition does not prescribe for intimating the company.”

ORISSA HIGH COURT • 2025

स्रोत ODHC010916642024

23 The Oriental Insurance Co. Ltd. v. Munna Lal Gupta

HIGH COURT OF DELHI • 2023-11-29 • MAC.APP./231/2020

यह मामला एक सड़क दुर्घटना में मुआवजे से संबंधित है। claimant दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिसके परिणामस्वरूप उनके पैर का amputation करना पड़ा। Insurance Company ने इस आधार पर अपील की कि FIR दर्ज करने में देरी हुई थी और दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान संदिग्ध है। उच्च न्यायालय ने माना कि अस्पताल में भर्ती होने और गंभीर चोटों के कारण FIR में देरी स्वाभाविक है और यह दावे को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। न्यायालय ने Supreme Court के Ravi v. Badrinarayan मामले का हवाला देते हुए कहा कि यदि claimant को cross-examination के दौरान इन बिंदुओं पर चुनौती नहीं दी गई है, तो बाद में ऐसी आपत्तियां नहीं उठाई जा सकतीं। तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यदि बीमा कंपनी ने निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रतिवादी से जिरह (cross-examination) करते समय एफआईआर में हुई देरी पर कोई सवाल या आपत्ति नहीं उठाई, तो वह अपील के स्तर पर इस तकनीकी आधार को दावे को खारिज करने के लिए प्रस्तुत करने की पात्र नहीं है।

“In such circumstances, an adverse inference cannot be drawn against the respondent no.1 for not rushing to the Police to get the FIR registered rather than caring for his own body and health... though the respondents specifically pointed out in their written statements that there was delay of 37 days in lodging of the FIR, but no question or suggestion regarding the said delay was put to PW-1 during his cross examination.”

HIGH COURT OF DELHI • 2023

स्रोत DLHC010307062020

24 Ravi v. Badrinarayan and Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2011-02-18 • 2011 INSC 139

यह मामला सड़क दुर्घटना में घायल एक 8 वर्षीय बालक द्वारा Motor Vehicles Act, 1988 की Sections 140 और 166 के तहत मुआवजे की मांग से संबंधित है। निचली अदालत और High Court ने FIR दर्ज करने में हुई देरी के कारण दावे को खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलटते हुए कहा कि FIR दर्ज करने में देरी अपने आप में दावा खारिज करने का आधार नहीं हो सकती, यदि वादी देरी के लिए संतोषजनक कारण प्रदान कर सके। न्यायालय ने माना कि दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के परिवार के लिए मानसिक सदमे के कारण FIR दर्ज करने में देरी स्वाभाविक है। 50%

स्थायी विकलांगता और मूत्र नियंत्रण खोने जैसी गंभीर चोटों को देखते हुए, न्यायालय ने पीड़ित को 2.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जो प्रतिवादियों द्वारा देय है।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने मील का पत्थर साबित होने वाले अपने निर्णय में कहा कि भारतीय परिस्थितियों में आम आदमी से दुर्घटना या चोरी के तुरंत बाद सीधे थाने भागने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मानसिक आघात और पारिवारिक जिम्मेदारियां व्यक्ति के दिमाग पर हावी होती हैं। अतः, यदि एफआईआर में कोई धोखाधड़ी या कहानी गढ़े जाने के साक्ष्य नहीं हैं, तो केवल विलंबित रिपोर्टिंग दावे को निरस्त करने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकती।

“It is well-settled that delay in lodging FIR cannot be a ground to doubt the claimant's case. Knowing the Indian conditions as they are, we cannot expect a common man to first rush to the Police Station immediately after an accident. Human nature and family responsibilities occupy the mind of kith and kin to such an extent that they give more importance to get the victim treated rather than to rush to the Police Station. Under such circumstances, they are not expected to act mechanically with promptitude in lodging the FIR with the Police. Delay in lodging the FIR thus, cannot be the ground to deny justice to the victim.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2011

स्रोत ESCR010005262011

25 National Insurance Company Ltd. v. Babu Ram

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2009-04-20 • RFA/130/2002

यह मामला एक ट्रक की चोरी के लिए बीमा दावे के भुगतान से संबंधित है। बीमा कंपनी ने FIR की कॉपी जमा न करने के आधार पर दावे को खारिज कर दिया था, जबकि वाहन स्वामी ने चोरी की सूचना पुलिस को दी थी लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई। न्यायालय ने माना कि बीमा पॉलिसी में FIR दर्ज कराना दावा स्वीकार करने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं थी और पुलिस की निष्क्रियता के कारण बीमा धारक को अपने वैध दावे से वंचित नहीं किया जा सकता। साक्ष्यों के आधार पर यह साबित हो गया कि ट्रक चोरी हुआ था। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने बीमा कंपनी के दावे को खारिज कर दिया और बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश बरकरार रखा।

निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि पुलिस प्रशासन पीड़ित के बार-बार संपर्क करने और आवेदन देने के बाद भी एफआईआर दर्ज करने में विफल रहता है, तो बीमा कंपनी एकतरफा नियम पढ़कर दावे को खारिज नहीं कर सकती। बीमित व्यक्ति द्वारा उच्च पुलिस अधिकारियों (जैसे पुलिस अधीक्षक) को लिखे गए पत्र घटना की वास्तविकता और बीमित के सद्भाव को प्रमाणित करने के लिए पूरी तरह पर्याप्त साक्ष्य हैं।

“The learned counsel for the respondent No.1 has supported the impugned judgment, decree and has submitted that respondent No.1 approached the Police Station, Parwanoo repeatedly for registration of FIR for the theft of the truck but despite that no case was registered by the police. He has submitted that registration of FIR for the theft of the truck or supplying the copy of FIR of the theft of the truck to appellant was not a condition precedent as per policy Ex .PW-1/A for settling the claim of respondent No.1. ... appellant had no right to repudiate the claim of respondent No.1 by unilaterally reading a non-existent condition in the policy.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2009

स्रोत HPHC010027112002

अस्वीकरण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।